Hindustan Media
Ventures Limited

Head Office :
C-164, Sector-63, Noida
Dist. Gautam Budh Nagar UP - 201301
Ph. : 0120 - 4765650
E-mail : corporatedept@hindustantimes.com
CIN : L21090BR1918PLC000013

Ref: HMVL/CS/08/2019

February 4, 2019

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot No. C-1, Block G
Bandra — Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400 051

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 533217
Trading Symbol: HMVL

Sub: Copies of Newspaper advertisements for meeting of Equity Shareholders of the Company pursuant to order of the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT)

Dear Sir,

In continuation to our letter dated February 1, 2019, forwarding the Notice of meeting of Equity Shareholders of the Company pursuant to order of Hon'ble NCLT, Kolkata Bench vide Order dated January 4, 2019, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement published in "Hindustan Times" and "Hindustan" on February 2, 2019.

The above is for your reference and record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For **Hindustan Media Ventures Limited**

(Tridib Barat)
Company Secretary

Encl: As above

hindustantimes

HINDUSTAN TIMES, NEW DELHI
SATURDAY, FEBRUARY 02, 2019

Before the National Company Law Tribunal
Kolkata Bench
Miscellaneous Application No.1181 of 2018
Connected With
Company Application No.755/KB/ 2018

In the Matter of the Companies Act, 2013 - Section 230(1) read with Section 232(1)
And
In the matter of:
Rule 11 of the National Company Law Tribunal Rules, 2016
And
In the Matter of :
Hindustan Media Ventures Limited, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1913 and being a Company within the meaning of the Companies Act, 2013 having Corporate Identification No. L21090BR1918PLC000013 and its Registered Office at Budh Marg, Patna 800 001 in the State of Bihar.

. . . . . Applicant Company

NOTICE OF THE MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS OF HINDUSTAN MEDIA VENTURES LIMITED ("RESULTING COMPANY")

NOTICE is hereby given that by an order dated January 4, 2019 (**"Order"**), the Hon'ble National Company Law Tribunal, Kolkata Bench (**"Tribunal"**) has directed a fresh meeting (**"Meeting"**) to be held of the Equity Shareholders of the Applicant Company, namely Hindustan Media Ventures Limited (**"Resulting Company"**) for the purpose of their considering, and if thought fit, approving, with or without modification(s), the proposed Scheme of Arrangement between India Education Services Private Limited, (**"Demerged Company"**) and the Resulting Company and their respective shareholders (**"Scheme"**).

In pursuance of the said Order and as directed therein, **further notice** is hereby given that a fresh Meeting of the Equity Shareholders of the Resulting Company to consider, and if thought fit, approve the said Scheme of Arrangement will be held at the registered office of the Resulting Company at Budh Marg, Patna 800 001 on Friday, the 8th day of March, 2019 at 2:00 PM, when the said Equity Shareholders are requested to attend.

Votes may be cast by the said Equity Shareholders of the Resulting Company at the venue of Meeting, personally or by proxy, provided that in the latter case, the proxies in the prescribed form, duly signed by them are deposited at the registered office of the Resulting Company, not later than 48 (forty eight) hours before the time for holding the Meeting. In case of a Body Corporate, being a Equity Shareholder, opting to attend and vote at the venue of a Meeting as aforesaid through its authorised representative, such Body Corporate may do so, provided a certified copy of the resolution of its Board of Directors or other governing body authorising such representative to attend and vote at such Meeting on its behalf, is deposited at the registered office of the Resulting Company not later than 48 (forty eight) hours before the time for holding such Meeting.

In terms of the said Order, the Equity Shareholders of the Resulting Company shall also have the facility and option of voting on the resolution for approval of the Scheme by casting their votes electronically (**"remote e-voting"**) during the period commencing from 9:00 a.m. on March 4, 2019 and ending at 5:00 p.m. on March 7, 2019. Such facility for remote e-voting shall not be available beyond the said period. **Equity Shareholders are requested to carefully read the "Instructions and other information relating to e-voting" outlined in the Notice sent to the Equity Shareholders.**

The Company has appointed Karvy Fintech Private Limited (**"Karvy"**) to provide the said remote e-voting facility.

The Equity Shareholders may opt to exercise their votes only in one mode. If Equity Shareholders cast their vote by remote e-voting, then such Shareholders will not be entitled to vote again by way of polling paper at the venue of the Meeting, whether in person or by proxy. If they do so, the votes so cast by them at the venue of the Meeting shall be treated as invalid.

It is however clarified that shareholders casting their votes by remote e-voting, as aforesaid, shall nevertheless be entitled to attend the Meeting and participate in the discussions in the Meeting but shall not be entitled to vote again at the Meeting. At the venue of the Meeting the votes shall be taken only physically by polling papers. Facility for e-voting shall not be available at the venue of the Meeting.

The Resulting Company has completed despatch of individual notice of the Meeting to all Equity Shareholders whose names were appearing in the Register of Members of the Resulting Company as on January 18, 2019. However, the respective cut-off date for determining eligibility to vote of Equity Shareholders has been fixed as March 1, 2019. Accordingly, only the Equity Shareholders whose names appear on the cut-off date, as aforesaid, shall be entitled to vote. The votes cast shall be reckoned and scrutinized for all modes with reference to the said cut-off date. The voting rights of the Equity Shareholders shall be in proportion to their share in the paid up Equity Share Capital of the Resulting Company as on the cut-off date i.e. March 1, 2019.

Any person who acquires Equity Shares and becomes a member/beneficial owner of Equity Shares of the Resulting Company after dispatch of the notice of the Meeting and is the member/beneficial owner as on the said cut-off date i.e. March 1, 2019 , may obtain the User ID and Password by sending request at evoting@karvy.com. The detailed procedure for obtaining User Id and Password is also provided in the Notice. However, if a member/beneficial owner is already registered with Karvy e-voting platform he/she can use his/her existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

Copy of the notice convening Meeting and all documents accompanying the same, including the said Scheme of Arrangement, form of proxy, attendance slip, the Explanatory Statement under Section 230(3) read with Section 232(2) of the Companies Act, 2013 along with all annexures to such statement can be obtained free of charge at the registered office of the Resulting Company on all working days (Monday to Friday) between 11:00 a.m. to 4:00 p.m. Copy of the such notice convening Meeting and the accompanying documents are also placed on the website of the Resulting Company (www.hmvl.in) and on the website of Karvy https://evoting.karvy.com.

Form of proxy can also be obtained separately from the registered office of the Resulting Company.

The Hon'ble Tribunal has appointed Mr. Surendra Singh, Advocate to be the Chairperson of the said Meeting of the Equity Shareholders of the Resulting Company.

In case of any query/ grievance, in respect of remote e-voting, Equity Shareholders may please refer to Help & FAQs and E-voting user manual available under the "Downloads' section of Karvy's website: https://evoting.karvy.com or contact Mr. G Ramesh Desai, Manager, Karvy Fintech Private Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 or at e-mail address: evoting@karvy.com or contact no. 040 - 6716 2222 or Karvy's toll free No. 1800-345-4001 (from 9:00 A.M. to 6:00 P.M.).

In terms of the said Order dated January 4, 2019 of the Hon'ble Tribunal, Shri Ajay Kumar, practising Company Secretary (CP No.3433) has been appointed to act as Scrutinizer for the purpose of ascertaining the results of the voting.

The results of the Meeting of the Equity Shareholders shall be announced by the Chairperson on or before March 10, 2019 and the same shall be displayed on the website of the Resulting Company (https://www.hmvl.in) and Karvy (https://evoting.karvy.com), besides being communicated to BSE Limited and National Stock Exchange Limited.

The aforesaid resolution for approval of the Scheme shall, if passed by a majority in number representing three-fourths in value of the Equity Shareholders of the Resulting Company casting their votes, as aforesaid, shall be deemed to have been duly passed on the date of the said Meeting (i.e. March 8, 2019) under Section 230(1) read with Section 232(1) of the Companies Act, 2013. However, the Scheme shall be acted upon only if the votes cast by public shareholders of the Resulting Company in favour of the Scheme are more than the number of votes cast by the public shareholders against the Scheme.

The abovementioned Scheme of Arrangement, if approved at the aforesaid Meeting, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble Tribunal.

Dated this 1st day of February, 2019

Sd/-

Surendra Singh
(Chairperson appointed for the Meeting)
29, Lawyer's Chamber
Bihar State Bar Council Bhawan
Patna High Court
Enrollment No.- 1251/1988

राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण के समक्ष
कोलकाता पीठ
विविध आवेदन सं. 1181 ऑफ 2018
साथ में जुड़े
कम्पनी आवेदन सं. 755/केबी/2018

कम्पनी अधिनियम, 2013 - धारा 230(1) साथ में पठित धारा 232(1) के मामले में

और

निम्न के मामले में:
राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण नियमों, 2016 के नियम 11

और

निम्न के मामले में:
हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के अधीन निगमित एक कम्पनी और कम्पनी अधिनियम, 2013 के अर्थ के तहत एक कम्पनी के रूप में, जिसकी निगमित पहचान सं. L21090BR1918PLC000013 और जिसका पंजीकृत कार्यालय बिहार राज्य में स्थित बुध मार्ग, पटना-800001 में है।

.... आवेदक कम्पनी

हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड ("रिजल्टिंग कम्पनी")
के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एक आदेश दिनांक 4 जनवरी, 2019 (**"आदेश"**) द्वारा, माननीय राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण, कोलकाता पीठ (**"न्यायाधिकरण"**) ने इंडिया एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, (**"डिमर्ज्ड कम्पनी"**) और रिजल्टिंग कम्पनी और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच प्रस्तावित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट (**"स्कीम"**) पर विचार करने और यदि उचित पाई गई, तो संशोधनों के साथ या उसके बगैर स्वीकार करने के प्रयोजन हेतु आवेदक कम्पनी, नामतः हिन्दुस्तान मीडिया वेंचर्स लिमिटेड (**"रिजल्टिंग कम्पनी"**) के इक्विटी शेयरधारकों की होने वाली एक नई बैठक (**"बैठक"**) का निर्देश दिया गया है।

कथित आदेश के अनुसरण में और उसमें समाविष्ट निर्देशों के अनुसार, एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि कथित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर विचार करने और यदि उचित पाई गई, तो स्वीकार करने हेतु रिजल्टिंग कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की एक नई बैठक शुक्रवार, 8 मार्च, 2019 को अप. 2.00 बजे, बुध मार्ग, पटना-800001 में रिजल्टिंग कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में होगी, जिसमें कथित इक्विटी शेयरधारकों को उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

रिजल्टिंग कम्पनी के कथित इक्विटी शेयरधारक बैठक के स्थल पर व्यक्तिगत या प्रोक्सी द्वारा वोट कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रोक्सी के मामले में, उनके द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, निर्धारित प्रोक्सी प्रपत्रों को बैठक के आयोजन के समय से 48 (अड़तालीस) घंटे पहले तक रिजल्टिंग कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाए। वे इक्विटी शेयरधारक जो बॉडी कॉर्पोरेट हैं, अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बैठक के स्थल पर उपरोक्तानुसार उपस्थित हो सकते हैं तथा वोट दे सकते हैं, बशर्ते उनके निदेशक मंडल या अन्य गवर्निंग बॉडी के रिजोल्यूशन की प्रमाणित प्रति, जो उनकी ओर से इस बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने हेतु अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करता हो, बैठक के आयोजन के समय से 48 (अड़तालीस) घंटे पहले तक रिजल्टिंग कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाए।

कथित आदेश के अनुसार, रिजल्टिंग कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के पास 4 मार्च, 2019 को प्रातः 9.00 बजे से 7 मार्च, 2019 को सायं 5.00 बजे तक की समयावधि के दौरान इस स्कीम को स्वीकार करने के प्रस्ताव पर इलेक्ट्रॉनिकली ("रिमोट ई-वोटिंग") अपने वोट देने की सुविधा का विकल्प भी होगा। कथित अवधि समाप्त होने के पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। **इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि उन्हें भेजे गए नोटिस में निर्दिष्ट "ई-वोटिंग से संबंधित अनुदेशों और अन्य जानकारी" को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।**

कम्पनी ने कथित रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु कार्वी फिनटैक प्राइवेट लिमिटेड (**"कार्वी"**) को नियुक्त किया है।

इक्विटी शेयरधारक केवल एक ही माध्यम से अपना वोट देने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि इक्विटी शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देते हैं, तो ऐसे शेयरधारक, बैठक के स्थल पर मतपत्र के द्वारा पुनः अपना वोट देने के हकदार नहीं होंगे, चाहे वोट व्यक्तिगत रूप से या प्रोक्सी द्वारा दिया गया हो। यदि वे ऐसा करते हैं, तो बैठक के स्थल पर उनके द्वारा दिए गए वोट अवैध माने जाएंगे।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि वे शेयरधारक जिन्होंने रिमोर्ट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया है, भी बैठक में उपस्थित होने तथा बैठक की चर्चा में भाग लेने के हकदार होंगे, किन्तु बैठक में दोबारा वोट देने के हकदार नहीं होंगे। बैठक के स्थल पर, केवल मतपत्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से वोट लिया जाएगा। ई-वोटिंग की सुविधा बैठक स्थल पर उपलब्ध नहीं होगी।

रिजल्टिंग कम्पनी ने बैठक के व्यक्तिगत नोटिस उन सभी इक्विटी शेयरधारकों को प्रेषित कर दिए हैं, जिनके नाम 18 जनवरी 2019 को रिजल्टिंग कम्पनी के सदस्यों की पंजिका में निर्दिष्ट थे। हालांकि इक्विटी शेयरधारकों को वोट देने के लिए पात्रता के निर्धारण हेतु संबंधित कट-ऑफ तिथि, 1 मार्च 2019 के रूप में तय की गयी है। तदनुसार, केवल वे इक्विटी शेयरधारक वोट देने के लिए हकदार होंगे, जिनके नाम उपरोक्त अनुसार, कट-ऑफ तिथिं को अंकित होंगे। उक्त कट-ऑफ तिथि के संदर्भ में सभी माध्यमों से दिए गए वोटों की गणना और जांच की जाएगी। इक्विटी शेयरधारकों कें वोट देने के अधिकार, कट-ऑफ तिथि यानी 1 मार्च 2019 को रिजल्टिंग कम्पनी के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होंगे।

कोई भी व्यक्ति जो इक्विटी शेयरों को प्राप्त करता है और बैठक के नोटिस के प्रेषण के बाद रिजल्टिंग कम्पनी के इक्विटी शेयरों का सदस्य/बैनिफिशल ओनर बनता है और कथित कट-ऑफ तिथि यानी 1 मार्च 2019 को सदस्य/बैनिफिशयल ओनर है, evoting@karvy.com में अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। इस नोटिस में यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया भी प्रदान की गयी है। हालांकि, यदि कोई सदस्य/बैनिफिशल ओनर पहले ही कार्वी ई-वोटिंग प्लेटफार्म में पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकता/सकती है।

बैठक के आयोजन के नोटिस की प्रति और उसके साथ समस्त आलेख्यों, जिसमें कथित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, प्रोक्सी का प्रपत्र, उपस्थिति स्लिप, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(3) साथ में पठित धारा 232(2) के अधीन व्याख्यात्मक विवरण तथा इस विवरण के सभी अनुलग्नक शामिल हैं, को सभी कार्यदिवसों में (सोमवार से शुक्रवार) पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 4.00 बजे तक रिजल्टिंग कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। बैठक आयोजन के कथित नोटिस की प्रति तथा साथ में आलेख्यों को रिजल्टिंग कम्पनी की वेबसाइट www.hmvl.in और कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध कराया गया है।

प्रोक्सी के प्रपत्र को पृथक रूप से रिजल्टिंग कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।

माननीय न्यायाधिकरण ने श्री सुरेंद्र सिंह, अधिवक्ता को रिजल्टिंग कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की कथित बैठक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी पूछताछ/शिकायत के मामले में, इक्विटी शेयरधारक कृपया कार्वी की वेबसाइटः https://evoting.karvy.com के 'डाउनलोड्स' अनुभाग के अधीन उपलब्ध Help & FAQs और ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें या श्री जी. रमेश देसाई, प्रबंधक, कार्वी फिनटैक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा, हैदराबाद-500032 से या ई-मेल पताः evoting@kary.com या संपर्क नं. 040-67162222 या कार्वी के टोल फ्री नं. 1800-345-4001 (प्रातः 9.00 से सायं 6.00 बजे तक) पर सम्पर्क करें।

माननीय न्यायाधिकरण के कथित आदेश दिनांक 4 जनवरी, 2019 के आधार पर, मतदान के परिणामों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवीक्षक के तौर पर कार्य करने हेतु श्री अजय कुमार, प्रैक्टिसरत कम्पनी सचिव (सीपी नं. 3433) को नियुक्त किया गया है।

इक्विटी शेयरधारकों की बैठक के परिणामों को 10 मार्च, 2019 को या उससे पहले अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जाएगा तथा उसे रिजल्टिंग कम्पनी की वेबसाइट https://www.hmvl.in और कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर प्रदर्शित किया जाएगा, उसके अलावा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉफ एक्सचेंज लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा।

स्कीम की स्वीकृति हेतु उपरोक्त प्रस्ताव, यदि रिजल्टिंग कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के मूल्य के तीन-चौथाई प्रतिनिधित्व सदस्यों के बहुमत द्वारा उनके वोट से पारित हो जाता है, तो उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230(1) साथ में पठित धारा 232(1) के अधीन कथित बैठक की तिथि (यानी 8 मार्च, 2019) को विधिवत पारित हुआ माना जाएगा। हालांकि, यह स्कीम केवल तभी प्रभावी होगी यदि स्कीम के पक्ष में रिजल्टिंग कम्पनी के पब्लिक शेयरधारकों द्वारा दिए वोट, स्कीम के विरोध में पब्लिक शेयरधारकों द्वारा दिए गए वोटों की संख्या से अधिक होते हैं।

उपरोक्त स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यदि उपरोक्त बैठक में स्वीकृत हो जाती है तो वह माननीय न्यायाधिकरण की आगामी स्वीकृति के अधीन होगी।

दिनांकः 1 फरवरी, 2019 हस्ता./-

सुरेंद्र सिंह
(बैठक हेतु नियुक्त अध्यक्ष)
29, लॉयर्स चैम्बर
बिहार राज्य बार काउंसिल भवन
पटना उच्च न्यायालय
नामांकन संख्याः 1251/1988